Neutral Citation No. - 2024:AHC:4085

प्रकाशनार्थ स्वीकृत
निर्णय सुरक्षित- ०३/०४.०१.२०२४
निर्णय उद्घोषित-०९.०१.२०२४

न्यायालय कक्ष सं०- ३६

उच्च न्यायालय, क्षेत्राधिकार इलाहाबाद

१. रिट ए संख्या-१५१६३/२०२३

श्रद्धा यादव एवं ६ अन्य --- याचिकाकर्ता

द्वाराः - सिद्धार्थ खरे, अधिवक्ता

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य व १० अन्य --- प्रतिपक्षीगण

द्वाराः -अर्चना सिंह, अधिवक्ता

मुख्य स्थायी अधिवक्ता

******

२. रिट ए संख्या २१२२४/२०२३

मिथलेश यादव --- याचिकाकर्ता

द्वाराः - ओ.पी.एस राठौर, अधिवक्ता

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य व ४ अन्य --- प्रतिपक्षीगण

द्वाराः -अर्चना सिंह, अधिवक्ता

मुख्य स्थायी अधिवक्ता

******

३. रिट ए संख्या १४१४९/२०२३

श्रीमती मीनाक्षी गुप्ता --- याचिकाकर्ता

द्वाराः - श्रीमती महिमा मौर्या कुशवाहा, अधिवक्ता

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य व २ अन्य --- प्रतिपक्षीगण

द्वाराः -अर्चना सिंह, अधिवक्ता

मुख्य स्थायी अधिवक्ता

******

CamScanner

४. रिट ए संख्या १७१७८/२०२३

विवेक कुमार श्रीवास्तव एवं ६ अन्य --- याचिकाकर्ता

द्वाराः - ओम प्रकाश मिश्रा, अधिवक्ता

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य व ११ अन्य --- प्रतिपक्षीगण

द्वाराः -अर्चना सिंह, अधिवक्ता
मुख्य स्थायी अधिवक्ता

माननीय सौरभ श्याम शमशेरी, न्यायमूर्ति

तथ्यात्मक प्रारूप

१. वर्तमान प्रकरण बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक व शिक्षिका के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण से सम्बन्धित है।

२. याचिकाकर्तागण (संख्या में सात), सर्वप्रथम सहायक शिक्षक के पद पर विभिन्न जनपद में नियुक्त हुए थे और कुछ वर्षों बाद उनका जनपदीयनुसार हेड मास्टर के पद पर पदोन्नति भी हो गई और अपने-अपने जनपद में दायित्व का निर्वाहन करते रहे।

३. शैक्षिक सत्र २०२३-२०२४ में अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव द्वारा अन्तर्जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानान्तरण के सम्बन्ध में नीति का निर्धारण, दिनांक ०२ जून २०२३ को शासनादेश संख्या ८३२/६८-५-२०२३-१३३/२०२२ द्वारा किया गया। उक्त शासनादेश को पूर्ण रूप से निम्न उल्लेखित किया जा रहा हैः-

"प्रेषक, *संख्या-८३२/६८-५-२०२३-१३३/२०२२*

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
स्कूल शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-५ *लखनऊः दिनांक ०२,जून,२०२३*

CamScanner

विषयः- शैक्षिक सत्र- २०२३-२४ में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिका के अन्तर्जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-महा०नि०स्कू०शि०/२४९८/२०२३-२४, दिनांक २६ मई, २०२३ का कृपया संदर्भ ग्रण करें, जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र-२०२३-२४ में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिका के अन्तर्जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानान्तरण के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

२- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शैक्षिक सत्र २०२३-२४ में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिका के अन्तर्जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानान्तरण के सम्बन्ध में निम्नवत् नीति निर्धारित की जाती हैः-

(१) जनपद में नियमित सेवावधि शिक्षिका के लिए ०२ वर्ष एवं शिक्षक के लिए ०५ वर्ष होना अनिवार्य होगा। सेवावधि की गणना कार्यरत जनपद के दिनांक से की जायेगी।

(२) माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन की बाध्यता के क्रम में केवल शिक्षिका जिनके द्वारा शादी के पूर्व तथा केवल असाध्य एवं गम्भीर रोग से पीड़ित शिक्षक/शिक्षिका(स्वयं अथवा पति-पत्नी एवं अविवाहित पुत्र पुत्री) जिनके द्वारा पूर्व में स्थानान्तरण का लाभ लिया गया है, ही दूसरी बार स्थानान्तरण के लिये अर्ह होंगे।

(३) माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या-४१९ डी०/२०२१ अजय कुमार बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक ०५.०७.२०२१ के अनुपालन की बाध्यता के दृष्टिगत शिक्षक/शिक्षिका को अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के लिए एक से अधिक बार आवेदन करने के लिए नहीं रोका जायेगा, परन्तु केवल आवेदन स्थानान्तरण का अधिकार नहीं माना जायेगा।

(४) जनपद में स्वीकृत पद के सापेक्ष दिनांक ३० अप्रैल, २०२३ तक कार्यरत अध्यापकों की संख्या के १० प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण किये जायेंगे। किसी जनपद में स्थानान्तरित होकर जाने तथा आने वाले शिक्षिक एवं शिक्षिका की अधिकतम सीमा १० प्रतिशत होगी।

(५) पारस्परिक (Mutual) स्थानान्तरण में दोनों शिक्षक/शिक्षिका की आपसी सहमति होना अनिवार्य होगा। अन्तर्जनपदीय एवं पारस्परिकः (Mutual) स्थानान्तरण की प्रक्रिया समानान्तर रूप से चलेगी परन्तु पारस्परिक एवं अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण दोनो का लाभ प्राप्त करने वाले शिक्षक/शिक्षिका को पारस्परिक स्थानान्तरण का लाभ अनुमन्य किया जायेगा।

(६) अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग एवं नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग में किये जायेंगे।

(७) अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया में शिक्षक/शिक्षिका द्वारा अधिकतम ०७ जनपदों का विकल्प दिया जा सकता है परन्तु अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण का लाभ प्राप्त करने के लिए कम से कम ०१ जनपद का विकल्प दिया जाना अनिवार्य होगा। विकल्प नहीं दिये जाने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

(८) चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा अनुभाग-६ शासनादेश संख्या- ३६५/२०१६/३१२४/पांच-६-२०१६-१९जी/१६ दिनांक २७

CamScanner

दिसम्बर, २०१६ के परिशिष्ट' 'च" में वर्णित रोग में शिक्षक/शिक्षिका (स्वयं अथवा पति-पत्नी एवं अविवाहित पुत्र पुत्री) के ग्रसित होने पर ही लाभ देय होगा।

(९) असाध्य एवं गम्भीर रोग में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ/एस०जी०पी०जी०आई० सैफई, किंग जार्ज मेडिकल कालेज एवं समान सरकारी घोषित चिकित्सा विश्विद्यालय/संस्थान और पी०जी०एच०एम० निजी चिकित्सालय जो राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (National Accreditation Board for Hospitals) द्वारा मान्य होने, से उपचार चल रहा हो अथवा उपचार कराया गया हो, द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र जो चिकित्सालय के चिकित्साधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा चिकित्सालय के चिकित्साधीक्षक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित एवं कार्यरत जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होने पर ही यह लाभ देय होगा।

(१०) अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के सत्यापन में अभिलेख फर्जी/कूटरचित पाये जाने पर सम्बन्धित अध्यापक के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।

(११) आनलाइन आवेदन पत्रों का सत्यापन जनपद स्तर पर समिति द्वारा किया जायेगा।। समिति के सदस्य सचिव, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होगा। असाध्य एवं गम्भीर रोगियों के सम्बन्ध में जनपद स्तर पर मुख्य चिकित्साधिकारी से सत्यापनोपरान्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र सत्यापित किया जायेगा।

(१२) अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया में वरीयता हेतु देय भारांकः-

क्रमांक	मानक	अधिकतम अंक
१.	सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए ०१ अंक	१५
२.	दिव्यांग अध्यापक/अध्यापिका (स्वयं/पति या पत्नी/अविवाहित पुत्र/पुत्री)	१०
३.	असाध्य या गम्भीर रोग से ग्रसित अध्यापक/अध्यापिका (स्वयं/पति या पत्नी/अविवाहित पुत्र/पुत्री)	२०
४.	शिक्षक/शिक्षिका जिनके पति या पत्नी सरकारी सेवा (भारत सरकार/भारतीय थल सेना/भारतीय वायु सेना/ भारतीय नौ सेना/केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल एवं उत्तर प्रदेश सरकार व उ०प्र०, बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन) में नियमित रूप से कार्यरत हो।	१०
५.	एकल अभिभावक (पुत्र/पुत्रियों का अकेले पालन करने वाले शिक्षक/शिक्षिका)	१०
६.	महिला अध्यापिका	१०
७.	राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अध्यापक/अध्यापिका	०५
८.	राज्य पुरस्कार प्राप्त अध्यापक/अध्यापिका	०३

(१३) अध्यापक/अध्यापिका के अंक समान होने पर नियुक्ति तिथि में वरिष्ठतम् तथा नियुक्ति तिथि में समानता होने पर अधिक आयु वाले शिक्षक/शिक्षिका को अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण का लाभ दिया जायेगा।

CamScanner

(१४) अन्तर्जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानान्तरण प्रक्रिया में स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को आवंटित जनपद में विद्यालय आवंटन की कार्यवाही बेसिक शिक्षा अनुभाग-५ के शासनादेश सं०-रिट-९८१/अरसठ-५-२०२२-६५७/२०२१ दिनाक २० अगस्त, २०२२ में निहित प्राविधान के अनुसार की जाएगी।

(१५) शैक्षिक सत्र २०२३-२४ के लिए अन्तर्जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानान्तरण की समस्त प्रक्रिया शासनादेश के क्रम में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र लखनऊ से विचार विमर्श के उपरान्त समय सारिणी के अनुसार ऑनलाइन किया जायेगा। ऑफलाइन आवेदन पत्र पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा।

(१६) अन्तर्जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानान्तरण के लिए निर्गत शासनादेश के अनुसार उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा अन्तर्जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानान्तरण के तकनीकी चरण एवं प्रक्रिया का निर्धारण किया जायेगा तथा शासनादेश के क्रम में अग्रतर कार्यवाही की जायेगी।

(१७) अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु समय-सारिणी सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा अपने स्तर से पृथक से निर्गत की जायेगी।

(१८) अन्तर्जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानान्तरण के उपरान्त शिक्षक/शिक्षिका को कार्यमुक्त करने तथा कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही मध्य शैक्षिक सत्र में नहीं की जायेगी। शिक्षक/शिक्षिका को कार्यमुक्त करने तथा कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही अवकाश के दौरान ही की जायेगी।

(१९) बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिका के अन्तर्जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानान्तरण के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेश अवक्रमित माने व समझे जायेंगे।

कृपया उपर्युक्तानुसार अग्रतर कार्यवाही यथाशीघ्र सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।"

४. उपरोक्त नीति के उपरान्त, सचिव, उ० प्र० बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा दो परिपत्र दिनांक १६.०६.२०२३ एवं २८.०६.२०२३ भी निर्गत किये गये जो उपरोक्त स्थानान्तरण नीति के अंतर्गत स्थानान्तरित किये गये शिक्षक एवं शिक्षिका को कार्य मुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराये जाने के सम्बन्ध में है। दोनो परिपत्रों को पूर्ण रूप से निम्न वर्णित किया जा रहा हैः-

<u>परिपत्र दिनांक १६.०६.२०२३</u>

"प्रेषक,

सचिव,

उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद,

प्रयागराज।

सेवा में,

समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः- बे०शि०प०/१३७३९-८१७/२०२३-२४ दिनांक- १६.०६.२०२३

CamScanner

विषयः- शैक्षिक सत्र २०२३-२४ में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिका के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-८३२/६८-५-२०२३-१३३/२०२२, दिनांक ०२ जून, २०२३ एवं परिषद के पत्र संख्या-बे०शि०प०/१०५९८-६९३/२०२३-२४, दिनांक ०८.०६.२०२३ का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र २०२३-२४ में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिका के अन्तर्जनपदीय के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश प्रेषित किये गये है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन एवं परीक्षण गहनता से निम्नवत् किया जायेगाः-

(१)-शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन परिषद के पत्र संख्या-बे०शि०प०/१२४००-५५२/२०२३-२४, दिनांक १४.०६.२०२३ द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा।

(२)-शिक्षिका ०२ वर्ष एवं शिक्षक ०५ वर्ष की नियमित सेवावधि पूर्ण किये जाने के उपरान्त ही ऑनलाइन आवेदन के लिए अर्ह होंगे। सेवावधि की गणना कार्यरत जनपद के दिनांक से ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि १७.०६.२०२३ तक की जायेगी।

(३) अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा सवर्ग में तथा नगर सेवा सवंर्ग से नगर सेवा सवंर्ग में किये जायेंगे। ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिका जो खण्ड शिक्षा अधिकारी के अधीन कार्यरत है ग्रामीण सेवा संवर्ग के शिक्षक एवं शिक्षिका तथा जो नगर शिक्षा अधिकारी के अधीन कार्यरत है नगर सेवा संवर्ग के शिक्षक एवं शिक्षिका होंगे।

(४)-एकल अभिभावक (अविवाहित पुत्र-पुत्रियों का अकेले पालन करने वाले शिक्षक एवं शिक्षिका) अर्थात जीवनसाथी (Spouse) की असामयिक मृत्य होने तथा परिवार न्यायालय/सक्षम न्यायालय द्वारा निर्गत तलाक (Divorce) सम्बन्धी आदेश के उपरान्त अकेले रहने वाले शिक्षक एवं शिक्षिका जो अविवाहित पुत्र-पुत्रियों को पालन करते हो, माने जायेंगे।

(५)- ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिका जो सेवा में दिव्यांगता के आधार पर चयनित है, की दिव्यांगता कम से कम ४० प्रतिशत हो तथा उनके द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया हो, अर्ह होंगे।

(६)- सेवा में आने के बाद अपरिहार्य कारणों से दिव्यांग हुए शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा प्रस्तुत दिव्यांग प्रमाण पत्र जिनके दिव्यांगता का प्रतिशत कम से कम ४० प्रतिशत का प्रस्तुत किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में भौतिक सत्यापनोंपरान्त अग्रतर कार्यवाही की जायेगी। दृष्टिबाधित दिव्यांगता, श्रवण बाधित एवं चलन क्रिया से सम्बन्धित दिव्यांगता का गहनता से परीक्षण/भौतिक सत्यापन किया जायेगा।

(७)- असाध्य या गम्भीर रोग से ग्रसित शिक्षक/शिक्षिका (स्वंय/पति या पत्नी/ अविवाहित पुत्र/पुत्री) का लाभ चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग चिकित्सा अनुभाग-६ शासनादेश संख्या- ३६५/२०१६/३१२४/पाँच-६-२०१६-१९जी/१६ दिनांक २७ दिसम्बर, २०१६ के परिशिष्ट "च" में वर्णित रोग से ग्रसित होने पर ही ही देय होगा। परिशिष्ट "च" के अनुसार असाध्य एवं गम्भीर रोगों की सूची निम्नवत् है:-

CamScanner

१- समस्त प्रकार के कैंसर।

२- समस्त प्रकार के हृदय रोग।

३- डायलिसिस और गुर्दा प्रत्यारोपण सहित समस्त प्रकार के गुर्दा रोग।

४- दीर्घकालीन यकृत रोग और यकृत प्रत्यारोपण।

५- यकृत संरक्षा प्रक्रिया और तात्कालिक उपचार हेतु आवश्यक बचाव सर्जरी।

६- अल्पकालिक अत्यन्त गंभीर यकृत रोग।

७- घुटने और कूल्हे का बदलाव।

८- प्रोस्टेट ग्लैण्ड सर्जरी।

९- कार्निया प्रत्यारोपण।

असाध्य या गम्भीर रोग से ग्रसित शिक्षक एवं शिक्षिका (स्वयं/पति या पत्नी/अविवाहित पुत्र/पुत्री) को ही लाभ देय होगा। असाध्य या गम्भीर रोग से सम्बन्धित प्रमाण पत्र शासनादेश दिनांक ०२.०६.२०२३ के प्रस्तर-०९ एवं परिषद के पत्र संख्या - बे०शि०प०/१०५९८-६९३/२०२३-२४. दिनांक ०८.०६.२०२३ में उल्लिखित प्राविधानानुसार ही मान्य होंगे।

(८)- सरकारी सेवा का लाभ ऐसे शिक्षक/शिक्षिका जिनके पति या पत्नी भारत सरकार/भारतीय थल सेना/भारतीय वायु सेना/भारतीय नौ सेना/केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल एवं उत्तर प्रदेश सरकार व उ०प्र०, बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन नियमित कार्यरत सरकारी सेवक होंगे, को ही देय होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद ३०९ के परन्तुक के अधीन जिन कार्मिकों का सेवा विनियमन होता है, वे सरकारी सेवा की श्रेणी में माने जायेंगे। सरकारी सेवा में अद्यतन कार्यरत होने का प्रमाण पत्र जो सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो, ही मान्य होगा।

(९)- ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिका जो वर्तमान में निलम्बित है, को अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया में आवेदन करने से वंचित नही किया जायेगा तथा ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिका को यदि स्थानान्तरण का लाभ प्राप्त होता है, तो उनके विरुद्ध प्रचलित अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त होने के पश्चात कार्यमुक्त किया जायेगा।

ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन पूर्ण पारदर्शिता एवं सुचितापूर्ण रूप से किया जाना है। किसी भी प्रकार अनियमितता/ विसंगति की दशा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/ सदस्य सचिव एवं समिति उत्तरदायी होगी।

कृपया उक्त से अवगत होते हुए अग्रतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।"

<u>परिपत्र दिनांक २८.०६.२०२३</u>

"प्रेषक,

सचिव,

उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद,

प्रयागराज।

सेवा में,

समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,

CS CamScanner

उत्तर प्रदेश।

पत्रांक- बे०शि०प०/१५०५३-३७५/२०२३-२४ दिनांक-२८.०६.२०२३

विषयः- उ० प्र० बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों मे कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिका के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये शिक्षक एवं शिक्षिका को कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के पत्रांक बे०शि०प०/१०५९८-६९३/२०२३-२४ दिनांक ०८.०६.२०२३, पत्रांक बे०शि०प०/१२८९८-९७८/२०२३-२४ दिनांक १७.०६.२०२३, पत्रांक बे०शि०प०/१३५५८-६३५/२०२३-२४ दिनांक २०.०६.२०२३, पत्रांक बे०शि०प०/१३३९७-४७५/२०२३-२४ दिनांक २०.०६.२०२३, पत्रांक बे०शि०प०/१३६४४-७२२/२०२३-२४ दिनांक २१.०६.२०२३, पत्रांक बे०शि०प०/१३८१३-८९१/२०२३-२४ दिनांक २२.०६.२०२३, पत्रांक बे०शि०प०/१२८२१-८९७/२०२३-२४ दिनांक १६.०६.२०२३ एवं पत्रांक बे०शि०प०/१२७३९-८१७/२०२३-२४ दिनांक १६.०६.२०२३ का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा शासनादेश संख्या- ८३२/६८-५-२०२३-१३३/२०२२ दिनांक ०२ जून, २०२३ के अनुपालन में अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण की कार्यवाही की गयी है।

अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया के अन्तर्गत शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र उ०प्र० लखनऊ द्वारा विकसित पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया गया। शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा शासनादेश दिनांक ०२ जून, २०२३ मे दी गयी व्यवस्थानुसार वरीयता भारांक का लाभ प्राप्त किये जाने हेतु विकल्प यथा-असाध्य/गम्भीर रोग से ग्रसित होने, दिव्यांग, एकल अभिभावक, पति-पत्नी के सरकारी सेवा में होने, राष्ट्रीय पुरस्कार एवं राज्य पुरस्कार का चुनाव करते हुए उससे सम्बन्धित साक्ष्य व अभिलेख प्रस्तुत किये गये है। शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व अभिलेखों का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा परीक्षण कर उनके आवेदन पत्र को सत्यापित किया गया है।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षक एवं शिक्षिका के ऑनलाइन आवेदन एवं उनके द्वारा भारांक से सम्बन्धित साक्ष्य व अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापित किये गये आवेदन पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र उ०प्र० लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर एवं पोर्टल पर कार्यवाही करते हुए शासनादेश के बिन्दु संख्या-०४ के अनुसार स्थानान्तरण के लिए रिक्त पदो के सापेक्ष जनपद वरीयता के विकल्प, भारांक हेतु चुने गये विकल्प के आधार पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र उ० प्र० लखनऊ द्वारा विकसित पोर्टल/सॉफ्टवेयर के माध्यम से कुल १६,१६४ शिक्षक एवं शिक्षिका के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण की कार्यवाही की गयी है।

अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षक एवं शिक्षिका को कार्यमुक्त किये जाने की कार्यवाही निम्नवत की जायेगी-

CamScanner

१. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र उ०प्र० लखनऊ के पोर्टल पर १६,६१४ शिक्षक एवं शिक्षिका के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण की सूची interdistricttransfer.upsdc.gov.in पर प्रकाशित की गयी है।

२. अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण सूची मे सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय ग्रामीण व नगरीय संवर्ग, प्रधानाद्यापक प्राथमिक विद्यालय ग्रामीण व नगरीय संवर्ग, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय ग्रामीण व नगरीय संवर्ग एवं प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय ग्रामीण एवं नगरीय संवर्ग के शिक्षक एवं शिक्षिका सम्मिलित है। शिक्षक एवं शिक्षिका जिनके द्वारा शासनादेश दिनांक ०२.०६.२०२३ के बिन्दु संख्या १२ द्वारा प्रदत्त वरीयता अंक यथा-दिव्यांग अध्यापक/अध्यापिका (स्वयं/पति या पत्नी/अविवाहित पुत्र/पुत्री), असाध्य या गंभीर रोग से ग्रसित अध्यापक/अध्यापिका (स्वयं/पति या पत्नी/अविवाहित पुत्र/पुत्री), शिक्षक/शिक्षिका जिनके पति या पत्नी सरकारी सेवा (भारत सरकार/ भारतीय थल सेवा/ भारतीय वायु सेना /भारतीय नौ सेना/केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल एवं उत्तर प्रदेश सरकार व उ०प्र०, बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन) में नियमित रूप से कार्यरत हो, एकल अभिभावक (पुत्र/पुत्रियों का अकेले पालन करने वाले शिक्षक/शिक्षिका), राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अध्यापक/अध्यापिका का लाभ नही लिया गया तथा स्थानान्तरित हुए है को मानव संपदा पोर्टल एवं अभिलेखों से सत्यापित करते हुए तत्काल कार्यमुक्त करने की कार्यवाही की जाय।

३. अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग एवं नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग में पदवार किया गया है। शिक्षक एवं शिक्षिका के सेवर्ग, पदनाम मे त्रुटि पाये जाने पर सम्बन्धित शिक्षक एवं शिक्षिका को कार्यमुक्त नहीं किया जायेगा।

४. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षक एवं शिक्षिका को उनकी मौलिक नियुक्ति तिथि के आधार पर पंजिका में क्रमवार कार्यभार ग्रहण करते हुए उनके नाम अंकित किया जायेगा।

५. प्रोन्नति पद पर कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिका के स्थानान्तरित जनपद में बैच की पदोन्नति वर्ष/मौलिक नियुक्ति तिथि के आधार पर कार्यमुक्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

६. उ०प्र० बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली-१९८१ (अद्यतन संशोधित) के नियम-२२ के प्राविधानानुसार स्थानान्तरित जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त किसी अध्यापक को जिसे नियम-२१ के उपबन्धों के अनुसार एक स्थानीय क्षेत्र से दूसरे स्थानीय क्षेत्र में स्थानान्तरित कर दिया गया हो, ज्येष्ठता में उसका नाम, स्थानान्तरण का आदेश जारी किये गये दिनांक को उस स्थानीय क्षेत्र से जिसमें उसका स्थानान्तरण किया गया है, सम्बन्धित तत्स्थानीय वर्ग या श्रेणी के अध्यापकों की सूची में सबसे नीचे रख दिया जायेगा। ऐसा व्यक्ति किसी प्रतिकर का हकदार न होगा, इस आशय का शपथपत्र सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका से प्राप्त करने के उपरांत ही कार्यभार से मुक्त एवं ग्रहण कराया जाये।

७. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने जनपद में कार्यभार ग्रहण करने वाले तथा जनपद से कार्यमुक्त होने वाले शिक्षक एवं शिक्षिका की सूची परिषद

CamScanner

कार्यालय को निम्न प्रारूप पर दिनांक ०१.०७.२०२३ तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा-

क्र० सं०	आवेदन संख्या	शिक्षक/शिक्षिका का नाम	पदनाम	संवर्ग	कार्यरत जनपद	स्थानान्तरित जनपद	भारांक का विकल्प

८. शासनादेश दिनांक ०२.०६.२०२३ के बिन्दु संख्या-१२ के क्रम में ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिका जिनका वरीयता अंक (असाध्य एवं गम्भीर रोग, दिव्यांग, एकल अभिभावक, पति-पत्नी के सरकारी सेवा में होने, राष्ट्रीय पुरस्कार, राज्य पुरस्कार) के आधार पर स्थानान्तरण हुआ है को कार्यमुक्त करने के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

९. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि अपात्र शिक्षक एवं शिक्षिका को किसी भी दशा में कार्यमुक्त न किया जाय तथा ऐसे शिक्षक जिनके द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत कर स्थानान्तरण का लाभ लिया गया है का स्थानान्तरण स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।

१०. अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षक एवं शिक्षिका को कार्यमुक्त करने की कार्यवाही समिति के अनुमोदनोपरान्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा की जायेगी।

११. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किसी भी शिक्षक एवं शिक्षिका को उनके त्रुटिपूर्ण तथ्य/अभिलेख होने पर कार्यमुक्त किया जाता है तो ऐसी स्थिति मे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।"

५. याचिकाकर्तागण ने उपरोक्त स्थानान्तरण नीति के अंतर्गत पृथक-पृथक ऑनलाइन आवेदन पत्र, ऑनलाइन प्रणाली के अंतर्गत अपलोड किये और जनपद विकल्प भी दिया। सभी आवेदन पत्र, आज्ञापत्र याचिका के साथ संलग्न है।

६. उपरोक्त के उपरान्त एक स्थानान्तरण सूची, परिषद की अधिकृत वेबसाइट पर दिनाँक २६.०६.२०२३ को उपलब्ध कराई गई, जिसके अनुसार याचिकाकर्तागण को उनके विकल्प के अनुसार अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण की अनुमति प्रदान की गयी, परन्तु जब उनको अपने मूल जनपद से कार्यमुक्त नही किया गया, तो सभी याचिकाकर्तागण ने एक आज्ञापत्र याचिका (रिट 'ए' संख्या ११७९१ सन् २०२३) इस न्यायालय के समक्ष दायर की।

CamScanner

७. उक्त याचिका की सुनवाई के समय परिषद के विद्वान अधिवक्ता ने एक अनुवर्ती आदेश दिनाँक १६.०८.२०२३ की प्रति दी, जिसके अनुसार पृथक – पृथक आदेशानुसार सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज ने याचिकाकर्तागण के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण आदेश को निरस्त कर दिया।

८. उपरोक्त के कारण उक्त याचिका, इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक १७.०८.२०२३ द्वारा निरस्त कर दी गयी एवं याचिकाकर्तागण को नवीन याचिका दायर करने की अनुमति भी प्रदान की गयी।

९. उपरोक्त के संदर्भ में याचिकाकर्तागण ने वर्तमान आज्ञा पत्र याचिका, उक्त वर्णित आदेश दिनांक १६.०८.२०२३ को निरस्त करने के लिए, इस न्यायालय मे दिनाँक ०४.०९.२०२३ को दायर की थी। इसके उपरांत याचिकाकार्तागण ने एक संशोधन आवेदन पत्र, दिनाँक २१.११.२०२३ को दायर किया जिसके द्वारा उपरोक्त वर्णित परिपत्र दिनाँक २८.०६.२०२३ के खण्ड (५) को निरस्त करने की प्रार्थना भी की।

१०. याचिकाकर्तागण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अशोक खरे ने अपने विद्वान सहायक अधिवक्ता श्री हिमांशू सिंह के संग निम्न तर्क प्रस्तुत करें।

अ. उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, १९८१ (नियमावली १९८१) के नियम २१ में स्थानान्तरण संबंधी प्राविधान दिये गये है, जो निम्न हैः-

> " ***२१. स्थानान्तरण-*** *किसी अध्यापक का स्थानान्तरण ग्रामीण स्थानीय क्षेत्र से नगर स्थानीय क्षेत्र में या इसके विपरीत या किसी एक नगर स्थानीय क्षेत्र से उसी जिले के किसी अन्य नगर स्थानीय क्षेत्र में या एक जिले के स्थानीय क्षेत्र से किसी अन्य जिले के स्थानीय क्षेत्र को सिवाय अध्यापक के अनुरोध पर या उसकी सहमति से और दोनों ही दशा में परिषद् के बिना अनुमोदन के नही किया जायेगा।*"

ब. उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का संघटन, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, १९७२ के धारा-३ के अंतर्गत किया गया है। अतः यह एक वैधानिक संस्था है।

स. परिषद में शिक्षक/शिक्षकाओं की नियुक्ति जनपद स्तर पर की जाती है और उनकी वरीयता व पदोन्नति भी जनपद स्तर पर निर्धारित की जाती है।

CamScanner

द. स्थानान्तरण नीति का निर्धारण शासन के स्तर पर हुआ था, उसमें सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, के स्तर पर आधारभूत परिवर्तन नही किया जा सकता है। परिपत्र के खण्ड़ (५) मे वर्णित शर्त किसी भी प्रकार से स्थानान्तरण के तकनीकी चरण एवं प्रक्रिया के निर्धारण के अंतर्गत नही आ सकती है जैसा कि स्थानान्तरण नीति के प्रस्तर १६ में उल्लिखित किया गया। परिपत्र का खण्ड (५) का उल्लेख, परिषद को प्रदत्त शक्तियों के परे किया गया है अतः उसे निरस्त किया जाना चाहिये।

य. उपरोक्त नीति के अन्तर्गत जब एक बार याचिकाकर्तागण का अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण करने का निर्णय कर दिया गया हो, तो उसके उपरांत परिपत्र द्वारा परिषद कोई ऐसी शर्त नही बना सकता जिसके कारण स्थानान्तरण नीति स्वयं में ही विफल हो जाये।

र. परिपत्र के खण्ड (५) के समर्थन में, परिषद के प्रतिउत्तर के प्रस्तर २१ मे दिये गये कारण, कि स्थानान्तरित जनपद के बैच की पदोन्नति न होनें के कारण, अगर याचिकाकर्तागण को उक्त जनपद मे स्थानान्तरित किया जाता है तो वरिष्ठता सूची मे अनियमितता आ जायेगी, विधिक रूप से संवहनीय नहीं है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि, वरिष्ठता सूची जनपद स्तर पर तैयार की जाती है और स्थानान्तरित जनपद मे अपने संवर्ग मे उक्त जनपद की वरिष्ठता सूची के आधार पर निम्नतम स्तर पर रखा जाता है।

११. विद्वान अधिवक्ता श्रीमती अर्चना सिंह ने परिषद के पक्ष में तर्क दिया किः-

अ. शासन की स्थानान्तरण नीति मात्र एक प्रशासनिक नीति है, जो वैधानिक नियमों से पृथक है और ऐसी नीति का उल्लंघन होनें के कारण मात्र से किसी भी शासकीय कर्मचारी को स्थानान्तरण संबंधी आदेश को चुनौती देने का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता है।

ब. विद्वान अधिवक्ता ने कुछ निर्णयों का संदर्भ देते हुए यह कथन किया कि, आवेदकगण को यह अधिकार नही प्राप्त है कि उनके स्थानान्तरण आवेदन को स्वीकार ही किया जावें। यह कि सहायक शिक्षक एक जनपद स्तरीय संवर्ग है और अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण एक सामान्य प्रक्रिया न होकर, असाधारण प्रक्रिया है। स्थानान्तरण नीति के विरूद्ध दायर अन्य आज्ञा पत्र याचिका इस

CamScanner

न्यायालय द्वारा निरस्त की जा चुकी है। (देखें, **श्रीमती रूचि प्रति उत्तर प्रदेश शासन, आज्ञा पत्र याचिका संख्या १४३९५ सन् २०१२, निर्णय दिनांक १३.०८.२०१८, मो. आरिफ व अन्य प्रति उत्तर प्रदेश शासन व अन्य, आज्ञा पत्र याचिका ३३३ (एस/एस) वर्ष २०१७, निर्णय दिनांक ०३.०५.२०१७ व विवेक कुमार व २ अन्य प्रति उत्तर प्रदेश शासन, आज्ञा पत्र याचिका ए १४१२१ वर्ष २०२३, निर्णय दिनांक १९.१०.२०२३, कुलभूषण मिश्रा व अन्य प्रति उत्तर प्रदेश शासन व ४ अन्य: २०२३:ए.एच.सी:१२७२११-डी.बी.**)

स. विद्वान अधिवक्ता ने उच्चतम न्यायालय द्वारा **एस.के. नौशाद व अन्य प्रति भारत संघ व अन्य (२०२२)१२ एस.सी.सी.१** में पारित निर्णय का संदर्भ देते हुए, यह कथन किया कि स्थानान्तरण से संबंधित प्रशासनिक परिपत्र/निदेश, स्थानान्तरण पर दावा करने का अपरिहार्य अधिकार प्रदान नही करते हैं और किसी भी सेवा में कार्यरत सेवाकर्मी की व्यक्तिगत सुविधा प्रशासन की व्यापक आवश्यकताओं के अधीन हैं।

द. परिषद के प्रतिउत्तर शपथ पत्र का संदर्भ देते हुए, विद्वान अधिवक्ता ने परिपत्र दिनांक २८.०६.२०२३ के खण्ड (५) के पक्ष मे कथन किया कि, अगर स्थानान्तरित जनपद मे बैच की पदोन्नति नही हुई है तो यदि याचिकाकर्तागण जिनकी पदोन्नति हो चुकी है को उक्त जनपद मे स्थानान्तरित किया जाता है तो वहां के समकक्ष शिक्षको के, उसके उपरांत होने वाले पदोन्नति की सूची में विसंगति आ जायेगी, जो विधिक नही होगा।

१२. पक्ष व विपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को ध्यान पूर्वक श्रवण किया और पत्रावली का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया।

१३. याचिकाकर्तागण की सेवायें 'नियमावली १९८१' के प्रावधानो के अधीन है। जिसके नियम २१ मे 'स्थानान्तरण' का प्रावधान है जो सामान्यतः स्थानान्तरण की अनुमति नही देता है और स्थानान्तरण, यदि होता है तो वो, परिषद के अनुमोदन के बिना नही हो सकता है।

१४. पूर्व में उल्लेखित निर्णयों से यह भी निर्विवादित है कि स्थानान्तरण नीति मात्र एक प्रशासनिक नीति है, जिसकी पृष्ठभूमि में कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है। किसी भी

CS CamScanner

कर्मचारी को अपनी पसंद के स्थान पर स्थानान्तरण का दावा करने का कोई मौलिक या निहित अधिकार प्राप्त नही होता है।

१५. शिक्षकों व शिक्षिकाओं के वर्ष २०२३-२०२४ की अन्तर्जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानान्तरण नीति को उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश दिनाँक ०२, जून, २०२३ द्वारा निर्धारित की गई। इसके खण्ड १६, १७ व १८ पूर्व में उल्लेखित किये जा चुके हैं, के अनुसार परिषद को इस स्थानान्तरण नीति के ' तकनीकी चरण एवं प्रक्रिया के निर्धारण का दायित्व सौपा गया और उसी क्रम में, और स्थानान्तरण नीति के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु सचिव, उ.प्र. बेसिक शिक्षा परिषद ने परिपत्र दिनांक १६.०६.२०२३ व २८.०६.२०२३ को निर्गत किया, जिसके अनुसार ऑनलाइन आवेदन के सत्यापन व परीक्षण की प्रक्रिया को निर्धारित किया। इन परिपत्रों के माध्यम से एकल अभिभावक, दिव्यांगता, असाध्य या गंभीर रोग, सरकारी सेवा का लाभ, निलम्बन की स्थिति आदि के विषय में प्रावधान बनाये गये। इसी क्रम में परिपत्र दिनांक २८.०६.२०२३ द्वारा अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षक एवं शिक्षिका (१६,१६४ शिक्षक एवं शिक्षिका) को कार्यमुक्त किये जानें की कार्यवाही की, विस्तृत प्रक्रिया को भी निर्धारित किया। इसी परिपत्र के खण्ड (५) को निरस्त करने की प्रार्थना याचिकाकर्तागण ने की है। उक्त खण्ड पुनः निम्न उल्लेखित किया जा रहा हैः-

> *"५. प्रोन्नति पद पर कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिका के स्थानान्तरित जनपद में बैच की पदोन्नति वर्ष/मौलिक नियुक्ति तिथि के आधार पर कार्यमुक्त करने की कार्यवाही की जायेगी।"*

१६. स्थानान्तरण नीति के खण्ड १६, १७ व १८ के अन्तर्वस्तु से स्पष्ट है, जो परिषद के उक्त परिपत्रों को, जो उक्त नीति के ' तकनीकी चरण व प्रक्रिया के निर्धारण', इसकी समय सारिणी व कार्यमुक्त कराने के सम्बन्ध में है, निर्गत करने के लिए स्पष्ट रूप से परिषद के सचिव को अधिकृत करते है। अतः उक्त परिपत्रों को निर्गत करने का अधिकार सचिव, उ.प्र. बेसिक शिक्षा परिषद को पूर्ण रूप से था। अतः परिपत्र वैधानिक है व विधिक रूप से संधारणीय भी है। यह परिपत्र स्थानान्तरण नीति के क्रम में उसके कार्यवाहन के लिए है, न कि उसकी प्रकृति के विरोध में निर्गत किये गये है। स्पष्टता व संदर्भ के लिए स्थानान्तरण नीति के खण्ड १६, १७ व १८ पुनः निम्न उल्लेखित किये जा रहे हैः-

CamScanner

"(१६) अन्तर्जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानान्तरण के लिए निर्गत शासनादेश के अनुसार उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा अन्तर्जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानान्तरण के तकनीकी चरण एवं प्रक्रिया का निर्धारण किया जायेगा तथा शासनादेश के क्रम में अग्रतर कार्यवाही की जायेगी।

(१७) अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु समय-सारिणी सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा अपने स्तर से पृथक से निर्गत की जायेगी।

(१८) अन्तर्जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानान्तरण के उपरान्त शिक्षक/शिक्षिका को कार्यमुक्त करने तथा कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही मध्य शैक्षिक सत्र में नहीं की जायेगी। शिक्षक/शिक्षिका को कार्यमुक्त करने तथा कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही अवकाश के दौरान ही की जायेगी।"

१७. अब न्यायालय को यह निर्धारित करना है कि परिपत्र दिनाँक २८.०६.२०२३ के खण्ड (५) में उल्लेखित 'स्थानान्तरित जनपद में बैच की पदोन्नति वर्ष/मौलिक नियुक्ति तिथि के आधार पर' कार्यमुक्त करने की कार्यवाही का कोई न्यायोचित कारण है अथवा नही। यहां यह ध्यान रखना होगा कि याचिकाकर्तागण के संबंध में अंतर्जनपदीय स्थानान्तरण का आदेश पारित हो गया था परन्तु उपरोक्त खण्ड (५) के कारण उनको कार्यमुक्त नहीं किया गया है।

१८. उपरोक्त वर्णित खण्ड (५) के अन्तःवस्तु के मात्र परिशीलन से स्पष्टता प्रतीत नही होती है परन्तु परिषद के द्वारा दायर प्रतिउत्तर पत्र व उसके विद्वान अधिवक्ता के कथन से स्पष्टता प्रतीत होती है, कि अगर याचिकाकर्तागण जो पदोन्नति पद पर है स्थानान्तरित जनपद, जहां उनके बैंच के शिक्षकों की पदोन्नति नही हुयी है, कार्यभार ग्रहण कराया जाता है तो वो अपने संवर्ग मे निम्नतम वरिष्ठता पर रहें। फिर भी वो उनके बैंच में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिका जिनको पदोन्नति नहीं की गई है, से वरिष्ठ हो जायेंगे और उनके पदोन्नति होने के बाद भी याचिकाकर्तागण ही वरिष्ठ रहेंगे। जिससे असमंजसता की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी, चाहे वरिष्ठता सूची मूल जनपद के स्तर पर ही क्यो न हो। यह स्थिति सहकर्मी को साथ कार्य करने के लिए प्रतिकूल होगी। उपरोक्त वर्णित कारण एक नीतियुक्त कारण है जो उपरोक्त खण्ड (५) को वैधानिकता प्रदान करता है। अगर परिषद उक्त खण्ड (५) के अन्तःवस्तु में और स्पष्टता ला पाते तो अच्छा होता। अग्रिम स्थानान्तरण नीति में स्पष्टता का ध्यान रखना चाहिये।

१९. मा० उच्चतम न्यायालय के एक नवीन निर्णय जो **देवेश शर्मा प्रति भारत संघ व अन्यः २०२३ एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. ९८५,** के प्रकरण में पारित किया गया है, में पुनः यह प्रतिपादित किया किः-

CamScanner

" ७३. हमारे मस्तिष्क में निश्चित रूप से कोई संदेह नही है, कि साधारणतः राज्य के नीतिगत निर्णयों में संवैधानिक न्यायालयों द्वारा उसके पुनः निरीक्षण अधिकारो के अंतर्गत हस्ताक्षेप नहीं किया जा सकता है। इसी के साथ अगर नीतिगत निर्णय स्वयं में ही विधि के विरूद्ध और वो मनमाना व तर्कहीन हो तो पुनःनिरीक्षण के अधिकार का उपयोग करना ही चाहिये।"

२०. मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा एक अन्य प्रकरण **सत्यदेव बागुर प्रति राजस्थान शासन व अन्य (२०२२)५ एस.सी.सी. ३२४,** के प्रकरण मे पूर्व मे पारित **कृष्णन्न कक्कनाथ प्रति केरल राज्यः(१९९७)९ एस.सी.सी. ४९५** व **शेर सिंह प्रति भारत संघः (१९९५)६ एस.सी.सी. ५१५** के निर्णयों का संदर्भ लेते हुए यह निर्णीत किया किः-

" १५. यह अतिसामान्य है कि न्यायालय नीतिगत मामलो में हस्तक्षेप करने में मन्द रहेंगे, जब तक कि नीति स्पष्ट रूप से पक्षपाती और मनमानी न स्थापित हो जाये। यह न्यायालय राज्य की नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप नही करेगा, जब राज्य यह इंगित कर सके कि नीति के कार्यविहन में युक्तियुक्त अंतर है और वो युक्तियुक्त अंतर, उसके उद्देश्य की प्राप्ति से संबंध रखता है।"

२१. जैसा ऊपर विश्लेषण किया गया है कि खण्ड (५) के अन्तःवस्तु का आधार न्यायोचित एवं न्याय संगत है, जो एक युक्तियुक्त अन्तर है, जिसका संबंध उद्देश्य की प्राप्ति के लिये है कि अगर याचिकाकर्ता गणो को स्थानान्तरित जनपद, जहां उनके बैच के सह शिक्षको की पदोन्नति नहीं हुई है, स्थानान्तरित कर दिया जाये तो वहां अव्यवस्था हो जायेगी और सहकर्मी को साथ काम करने मे असहजता होगी। अतः इसको निरस्त करने की प्रार्थना अस्वीकार की जाती है। और यह याचिका बलहीन होने के कारण **निरस्त** की जाती है।

निर्णय दिनांक- ०९.०१.२०२४
(१३ पौष, १९४५ शक)

अवधेश

(सौरभ श्याम शमशेरी, न्यायमूर्ति)

CamScanner